



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में आरोपी छोटू पुत्र सुखपाल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि अभियुक्त छोटू पुत्र सुखपाल निवासी पट्टी भोजान कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत के विरुद्ध थाना दोघट पर मु0अ0सं0 218/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 10.09.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त छोटू पुत्र सुखपाल को दोषी पाते हुए 04 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

@baghpatpolice



श्री इन्द्रपाल सिंह एडीजीसी

baghpatpolice



नि0 ओमप्रकाश सिंह विवेचक



है0का0 धर्मेन्द्र कुमार कोर्ट पैराकार

Baghpat Police



प्रेसनोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 10.09.2026

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 642/26 धारा 103(1),3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त व 1 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.09.2026 को थाना बडौत पर वादी सतेन्द्र पुत्र मगन सिंह निवासी ग्राम शिकोहपुर थाना बडौत जनपद बागपत जाति जाट ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण राहुल पुत्र इन्द्रपाल व उसकी पत्नी निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत से वादी के भाई द्वारा उधार दिए अपने 02 लाख रुपये मांगने पर अभियुक्तों उपरोक्त व कुछ अन्य



अज्ञात द्वारा गुरसे में आकर वादी के भाई दीपेन्द्र पुत्र मगन सिंह निवासी शिकोहपुर थाना बडौत जनपद बागपत की हथौड़ा व अन्य धारधार हथियार से हत्या कर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 642/2026 धारा 103(1),3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 642/26 धारा 103(1),3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

- 1-राहुल पुत्र इन्द्रपाल निवासी बावली रोड नई बस्ती कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत, उम्र करीब 35 वर्ष
- 2-01 महिला अभियुक्ता



पूछताछ का विवरण- पूछताछ के दौरान अभियुक्त व अभियुक्ता द्वारा घटनास्थल से बरामद एक हथौड़ा एवं एक चाकू की पहचान करते हुए बताया गया कि उक्त हथियारों का प्रयोग उनके द्वारा दीपेन्द्र पुत्र मगन सिंह निवासी ग्राम शिकोहपुर, थाना बडौत, जनपद बागपत की हत्या करने में किया गया था।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही एवं उपलब्ध साक्ष्य आदि के आधार पर धारा 4/25 आयुध अधिनियम की बढौतरी की गई है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 मौ0 आसिफ अली थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-म0उ0नि0 रीतू काजल थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-है0का0 876 संजय कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-है0का0 22 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5-म0का0 659 करुणा चाहल थाना बडौत जनपद बागपत।



**प्रेसनोट जनपद बागपत
थाना बडौत**

दिनांक 10.09.2026

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 638/26 धारा 333,109(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार , जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 08.09.2026 को थाना बडौत पर वादी सोनू कुमार पुत्र सुरेश निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. रिहान पुत्र नौशाद, 2. अंशुल व 3. प्रशांत निवासीगण ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वादी के घर में घुसकर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 638/26 धारा 333,109(1) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 638/26 धारा 333,109(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है , जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है । उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बंध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही को जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1-रिहान पुत्र नौशाद निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा करातूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 मौ0 आरिफ अली थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 663 रुस्तम थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 738 अरुण थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 139 नीरज थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-का0 433 गौरव थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 10.09.2026

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा गुमशुदा युवक को सकुशल बरामद कर उसके परिवारीजन को सुपुर्द किया गया।

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अंतर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए गुमशुदा युवक उम्र करीब 22 वर्ष को मात्र 02 घंटे



के अथक प्रयास के उपरांत जनपद गाजियाबाद से सकुशल तलाश कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। युवक के सकुशल मिलने पर परिजनों द्वारा थाना खेकड़ा पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ० नि० श्री मयंक प्रताप सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
2. का० 724 कुशलपाल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।